

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/8953

दिनांक : 02.05.2022

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.01.2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 10 जिलों में 04 नगरपरिषदों एवं 10 नगरपालिकाओं में कुल 17 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	अजमेर	1.	न.प. किशनगढ़	07
2.	अलवर	2.	न.प. भिवाड़ी	58
		3.	न.पा. तिजारा	25
		4.	न.पा. किशनगढ़बास	1
3.	भीलवाड़ा	5.	न.प. भीलवाड़ा	42
4.	धौलपुर	6.	न.पा. राजाखेड़ा	07
		7.	न.पा. राजाखेड़ा	09
5.	हनुमानगढ़	8.	न.प. हनुमानगढ़	60
		9.	न.प. हनुमानगढ़	17
		10.	न.प. हनुमानगढ़	22
		11.	न.पा. पीलीबंगा	14
6.	झुंझुनू	12.	न.पा. बिसाउ	14
7.	जोधपुर	13.	न.पा. बिलाड़ा	26
8.	पाली	14.	न.पा. सादड़ी	31
9.	श्रीगंगानगर	15.	न.पा. गजसिंहपुर	4
		16.	न.पा. श्रीविजयनगर	7
10.	उदयपुर	17.	न.पा. सलूमबर	9

उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	13.05.2022 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	17.05.2022 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (दिनांक 15.05.2022 (रविवार) को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	18.05.2022 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	20.05.2022 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	21.05.2022 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	29.05.2022 (रविवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	30.05.2022 (सोमवार) प्रातः 8.00 बजे से

उक्त उप चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से संपन्न कराए जायेंगे।

● मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

● कोविड-19 संक्रमण से बचाव

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 23.11.2021 को संशोधित गाईडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की पूर्ण रूप से पालना करें।

मतदान दलों में भी ऐसे कार्मिकों को ही नियुक्त करने के निर्देश भी प्रदान किए हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो।

● आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

चित्रा

02/05/2022

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 02.05.2022

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 8954-59

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव